मूल पत्रावली भारतीय न्यायालय शासन अधिनियम को ओवर की गयी। पत्रावली अधिकारी को वापिस किया गया।

प्रकरण: इस रिकॉर्ड पर श्रीमानवादी के निवेदन पत्रावली का विवेचना अवलोकन किया गया। मिति दिनांक 28.11.2018 को पत्रावली निस्तारण हो चुकी है तथा नई मिति पारित हुआ है इसी प्रकार का T.L.R. 73/2018 श्रमिक बनाम /पलाश के दिनांक 28.11.2018 को अवधि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हुई है और माननीय न्यायालय को वरीयता की पत्रावली निस्तारण आदि का तामील पत्र भेजा जावे। पत्रावली दिनांक 12/9/2022 को आगे तामील पेश हो।

12/9/2022 पत्रावली पेश हुई/आप श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी राजकार्य/अवकाश से बाहर पधारे है। अतः पत्रावली दिनांक 17/11/2022 को पेश हो।

17/11/2022 पत्रावली पेश हुई/आप श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी राजकार्य/अवकाश से बाहर पधारे हैं। अतः पत्रावली दिनांक 25/01/2023 को पेश हो।

25/1/2023 पत्रावली पेश हुई/आप श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी राजकार्य/अवकाश से बाहर पधारे हैं। अतः पत्रावली दिनांक 18/4/2023 को पेश हो।

18.04.23 पत्रावली पेश हुई/आप श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी राजकार्य/अवकाश से बाहर पधारे हैं। अतः पत्रावली दिनांक 4/07/23 को पेश हो।

पुनरावलोकन/पुनर्विचार वाद क्र. 98/18

Reny 2018/00173

04/07/2023 प्रकरण- कार्यालय अनुपस्थित। वाद अगली अगली तारीख में कार्यालय निस्तारण की पत्रावली फैसला शुमार है अतः [illegible] दायर हो।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.26 12:12:04 IST
Reason: SelfAttested